भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1704

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2021
7 श्रावण, 1943 (शक)

ई-स्पोर्ट का विनियमन

1704. डॉ. उमेश जी जाधव:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ई-स्पोर्ट का विनियमन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मान लिया है कि कुछ नए लोकप्रिय ऐप हैं जहां भाग्य के खेल को कौशल के खेल रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ऐपों के विनियमन के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) जी नहीं। तथापि, ई-स्पोर्ट, जो प्रतिस्पर्धी खेल की प्रकृति का है और जिसे एशियाई खेल 2022 में भी शामिल किया गया है, को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जिससे एशियाई खेल 2022 और अन्य प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत से ई-स्पोर्ट के खिलाड़ियों की भागीदारी हो सके।

(ख) और (ग): ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर है तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के त्वरित विस्तार और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण अनेक गेमिंग एप प्रचलन में आए हैं।

****